भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3830

सोमवार, 16 मार्च, 2026/25 फाल्गुन, 1947 (शक)

बेरोजगारी से निपटने के लिए कार्ययोजना

3830. श्री ए. राजा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में युवाओं की बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रतिवर्ष सृजित किए जाने वाले रोजगारों की संख्या का कोई अनुमान लगाया है**;**

(ख) यदि हाँ**,** तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है**;**

(ग) पिछले तीन वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान देश के विभिन्न क्षेत्रों में सृजित रोजगारों की संख्या का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है**;** और

(घ) देश में बेरोजगारी की स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा तैयार की गई कार्ययोजनाओं का ब्यौरा क्या है**,** क्योंकि कुछ विशेषज्ञों का अनुमान है कि देश को प्रतिवर्ष 1.2 करोड़ से अधिक रोजगारों की आवश्यकता है**?**

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): रोजगार और बेरोजगारी का आधिकारिक डाटा आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) द्वारा एकत्र किया जाता है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति के आधार पर रोजगार दर्शाने वाला अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) वर्ष 2021-22 में 52.9%, वर्ष 2022-23 में 56.0% और वर्ष 2023-24 में 58.2% था।

इसके अतिरिक्त, भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस में संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था के 27 उद्योगों को शामिल किया गया है और 27 उद्योगों संबंधी रोजगार अनुमान प्रदान किए गए हैं। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, देश में कुल अनुमानित रोजगार वर्ष 2014-15 के दौरान 47.15 करोड़ की तुलना में 2023-24 के दौरान बढ़कर 64.33 करोड़ (अनंतिम) हो गया है, जो इस अवधि के दौरान 36.44% की वृद्धि दर्शाता है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, सरकार देश भर में विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं कार्यान्वित कर रही है। सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का विवरण https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार कौशल भारत मिशन (एसआईएम) के तहत, देश भर में कौशल विकास केंद्रों/विद्यालयों /महाविद्यालयों/ संस्थानों आदि के व्यापक नेटवर्क के माध्यम से विभिन्न योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई), जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस), राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस), औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) के माध्यम से शिल्पकार प्रशिक्षण योजना (सीटीएस) आदि के तहत कौशल, पुन: कौशल और कौशल संवर्धन प्रशिक्षण का कार्यान्वयन भी कर रही है। एसआईएम का उद्देश्य भारत के युवाओं को उद्योग जगत से संबंधित कौशल प्रदान करके भविष्य के लिए तैयार करना है।

कई राष्ट्रीय कार्यक्रमों के माध्यम से रीस्किलिंग और अपस्किलिंग पहलें शुरू की जा रही है जो कार्यबल परिवर्तन, पुनर्तैनाती और उभरती रोजगार भूमिकाओं के लिए तैयारियों में सहयोग करते हैं। ये कार्यक्रम कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) संचालित अर्थव्यवस्था में रोजगार सुनिश्चित करने के लिए संरचित कौशल, डिजिटल साक्षरता और उन्नत प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

भारत सरकार का श्रम और रोजगार मंत्रालय, राष्ट्रीय करियर सेवा (एनसीएस) पोर्टल चला रहा है, जो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म [www.ncs.gov.in] के माध्यम से निजी और सरकारी क्षेत्रों की नौकरियों की जानकारी, ऑनलाइन और ऑफलाइन रोजगार मेलों, नौकरी खोज और मिलान, करियर परामर्श, व्यावसायिक मार्गदर्शन, कौशल विकास पाठ्यक्रमों की जानकारी, कौशल/प्रशिक्षण कार्यक्रम आदि करियर से संबंधित सेवाएं प्रदान करने के लिए वन-स्टॉप समाधान है।

विधायी सुधारों के एक हिस्से के रूप में, केंद्रीय क्षेत्र में मौजूदा 29 अधिनियमों को चार संहिताओं अर्थात वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 में शामिल किया गया है। इन संहिताओं को दिनांक 21 नवंबर, 2025 से लागू किया गया है। इन संहिताओं का उद्देश्य सरलीकरण, युक्तिकरण और अनुपालन भार में कमी के माध्यम से व्यापार करना आसान बनाना है ताकि प्रत्येक श्रमिक की सुरक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए रोजगार अवसरों के सृजन को प्रोत्साहित किया जा सके।

इसके अतिरिक्त, सरकार विनिर्माण क्षेत्र पर विशेष ध्यान देते हुए, सभी क्षेत्रों में रोज़गार सृजन, रोज़गार क्षमता और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री विकसित भारत रोज़गार योजना नामक रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन (ईएलआई) योजना को कार्यावित कर रही है। 99,446 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली इस योजना का उद्देश्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगारों के सृजन को प्रोत्साहित करना है।

****